भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3588

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना

3588. श्री हनुमान बेनीवालः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने और रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने, देश की स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं को सुदृढ़ करने और आयात को बढ़ावा देने के लिए व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): भारत सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने तथा अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कई उपाय किए हैं। भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की गई है। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा, भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विजन को ध्यान में रखते हुए और भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए, 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें शुरू की गई हैं। इनमें मोबाइल और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक, ड्रग इंटरमीडियरीज़ और एक्टिव फार्मास्यूटिकल सामग्रियां, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल्स औषधियां, विशेष इस्पात, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल, एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी तथा ड्रोन और ड्रोन घटक शामिल हैं। इन स्कीमों में, उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने, विनिर्माण उत्पादन में वृद्धि करने तथा भविष्य में तीव्र आर्थिक विकास में योगदान देने की क्षमता है।

अन्य प्रमुख पहलों में स्टार्ट-अप इंडिया, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम, जीआईएस आधारित भूमि बैंक, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति संबंधी सुधार, मल्टीमोडल अवसंरचना की एकीकृत योजना हेतु पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना

निगरानी समूह, पूर्वोत्तर और हिमालयी क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज, औद्योगिक पार्कों की स्थापना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के लिए कार्यक्रम, अनुपालन बोझ में कमी करने के लिए उपाय, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेशों और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय आदि शामिल हैं। इसके अलावा, डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत देश के दायित्वों के अनुसरण में विभिन्न उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी किए गए हैं और यह घरेलू उत्पादन और आयात दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं। इन विनियमों का उद्देश्य, उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को प्रोत्साहित करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा करना है।

इसके अलावा, कुछ देशों के साथ एफटीए में शामिल होने के अलावा, सरकार ने निर्यात में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित निर्यात संवर्धन पहलें भी की हैं:-

i. दिनांक 31 मार्च, 2023 को नई विदेश व्यापार नीति की शुरुआत की गई तथा यह 1 अप्रैल, 2023 को लागू हुई।

ii. शिपमेंट से पहले और बाद में रुपी निर्यात ऋण पर ब्याज समानीकरण स्कीम को कार्यान्वित किया गया है।

iii. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक स्कीमों के जरिए सहायता प्रदान की जा रही है, नामत: निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना स्कीम (टाइज़) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीम।

iv. श्रमोन्मुखी क्षेत्र संबंधी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 07.03.2019 से राज्य और केंद्रीय लेवी और कर में छूट (आरओएससीटीएल) स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

v. निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम दिनांक 01.01.2021 से कार्यान्वित की गई है। दिनांक 15.12.2022 से आरओडीटीईपी में उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है जो पहले इसमें शामिल नहीं थे जैसे फार्मास्यूटिकल्स, जैविक और अजैविक रसायन तथा लोहे और इस्पात से बनी वस्तुएं। इसी प्रकार, 432 टैरिफ लाइंस में विसंगतियों को दूर किया गया तथा दिनांक 16.01.2023 से सही दरों को कार्यान्वित किया गया है।

vi. व्यापार को सुविधाजनक बनाने तथा निर्यातकों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए मूल के प्रमाण-पत्र हेतु सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।

vii. प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों की पहचान करके, इन उत्पादों के निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करके तथा जिले में रोजगार सृजन के लिए स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करते हुए निर्यात केंद्र के रूप में जिला पहल शुरू की गई है।

viii. भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों की सक्रिय भूमिका को बढ़ाया गया है। विदेशों में स्थित वाणिज्यिक मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्ड/प्राधिकरणों और उद्योग संघों के साथ निर्यात कार्य निष्पादन की नियमित निगरानी तथा समय-समय पर सुधारात्मक उपाय करना।

*****